

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION 23/2023
IN
ORIGINAL APPLICATION 75/2023

IN THE MATTER OF
JAISHREE BANSAL

...APPLICANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

...RESPONDENT(S)

INDEX

| S. NO. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|--------|--|----------|
| 1. | ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, HAPUR, STATE OF UTTAR PRADESH | |
| 2. | PHOTOGRAPHS OF THE GOOGLE EARTH IMAGE IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1 | |
| 3. | A COPY OF LETTER DATED 01.10.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2 | |
| 4. | A COPY OF THE MINUTES OF MEETING DATED 18.10.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3 | |
| 5. | A COPY OF MINUTES OF MEETING DATED 22.01.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4 | |

THROUGH



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 25.01.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION 23/2023
IN
ORIGINAL APPLICATION 75/2023



IN THE MATTER OF
JAISHREE BANSAL

...APPLICANT


VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

...RESPONDENT(s)

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE DISTRICT
MAGISTRATE, HAPUR, STATE OF UTTAR PRADESH

I, Prerna Sharma, aged about 34 years, D/o Shri Dushyant Kumar Sharma, posted as District Magistrate, Hapur, State of Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:




1. Prerna Sharma, District Magistrate, Hapur, State of Uttar Pradesh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. The present Execution Application has been filed in O.A. 75/2023 by Jaishree Bansal against the Uttar Pradesh Pollution Control Board. The present application has been filed before this Hon'ble Tribunal for the issues being faced by the people of village Galand and village Pipalhaida.

3. That in the present matter the construction of the Waste-to-Energy Plant by the Ghaziabad Development Authority on 44.25 acres i.e. 17.9084 hectares for the treatment and processing of the municipal solid waste of the district Ghaziabad is being opposed by the villagers of both the villages of Galand and Pipalhiada. The land upon which the construction of the WTE Plant is proposed, is contiguous in both the villages, is being objected to by the villagers as the land is 1.5 kms (approximately) away from the main residential area of village Galand and 0.5 kms (approximately) away from the main residential area of village Pipalhiada.

Photographs of the google earth image is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1**.

4. That in the present matter it is humbly submitted by the undersigned that the continuous efforts have been made by the undersigned and the district authorities to resolve the dispute, however, the villagers of village Galand and village Pipalhaida, and the Jan Kalyan Kisan Samiti is strictly against the WTE Plant being constructed in their village. The undersigned has held several meetings with the villagers of both the villages and the Jan Kalyan Samiti, however, there has been no positive outcome for the present situation.

5. That in furtherance with the meetings held by the undersigned and the district administration as mentioned in the Affidavit on behalf of the DM, Hapur dated 01.10.2024 available on the judicial record at page no. 606 for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal.




Pra

6. That a letter dated 01.10.2024 was issued by the undersigned, in compliance of which a meeting was organised under the chairmanship of the DM, Hapur with the revenue officials, Jan Kalyan Kisan Samiti and villagers of village Galand and village Pipalhaida with regards to the construction of Waste-to-Energy Plant.

A copy of letter dated 01.10.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**.

7. That during the meeting with the villagers and Jan Kalyan Kisan Samiti yet again quoted the reasons as to why they are against the construction of the WTE Plant in their village area. The villagers and the members in turn of their opposition were explained by the district administration about the benefits of the WTE Plant and were further encouraged to visit the operational WTE Plants. The villagers taking the suggestions made under consideration asked for some time to discuss the matter amongst themselves.



A copy of the minutes of meeting dated 18.10.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**.

8. That a meeting dated 22.01.2025 was held under the chairmanship of the DM, Hapur with the revenue officials, Jan Kalyan Kisan Samiti and villagers of village Galand and village Pipalhaida. Discussions regarding the issue in the present matter were held, however, it was not fruitful. The proposal made by the undersigned regarding the visit to the operational


Pran

WTE Plants was again opposed by the villagers and the Jan Kalyan Kisan Samiti.

A copy of minutes of meeting dated 22.01.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-4.


9. That during the meetings held by the undersigned for the land issue upon which the WTE Plant is proposed to be constructed for the treatment of the municipal solid waste of the district Ghaziabad, the points/reasons stated by the villagers of village Galand and village Pipalhaida, and Jan Kalyan Kisan Samiti in support of their objections are as follows-

- i. That the population of village Galand and village Pipalhaida is around 40,000- 45,000, and the WTE Plant is approximately 1.5 kms away from the main residential area of village Galand and 0.5 kms away from the main residential area of village Pipalhaida.
- ii. Currently the plotting in both the villages has reached near the land wherein the construction of the WTE Plant is proposed.
- iii. **The land for the plant is only 60 mtrs. (approximately) away from *Gang Nahar*.**
- iv. The construction of the WTE Plant will pollute the soil, water and cause air pollution which may lead to severe health issues in the villagers of both the villages and children.
- v. The construction may lead to the contamination of the Upper Ganga Canal.



Pma


- vi. For the disposal of the solid waste of the district Ghaziabad, instead of constructing the WTE Plant in Ghaziabad, the plant is being constructed in District Hapur.
- vii. Initially, the construction of the plant was proposed to be constructed in Dhundaheda, Ghaziabad. However, the construction was shifted in district Hapur, in near proximity of the residential area of both the villages, educational institutions, the Gang Nahar and religious sites.
- viii. The construction of the WTE Plant for treatment of the waste generated in other district being carried out in district Hapur is unfair to the residents of the village Galand and village Pipalhaida. The opposition of the construction of the Waste-to-Energy Plant is being done by the villagers since 2008. However, the authorities are adamant in constructing the WTE Plant for treatment of waste generated from district Ghaziabad, in district Hapur within the close proximity of the residential area of village Galand and village Papalhaida.



10. That the continuous objections raised by the villagers is for the reasons mentioned above, as stated by the villagers of the village Galand and village Pipalhaida and the Jan Kalyan Kisan Samiti during the meetings convened by the undersigned.

11.Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal, and any further directions as the Hon'ble Tribunal deems appropriate.

12.I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.



[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at _____ on this 25 day of January, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



[Signature]
DEPONENT

No. 8 Date: 25/1/25 Time: 2.12 Age: 34 years
Certified that Shri. _____
Identified by Shri. Prerna Sharma D/o Dushyant Kumar Sharma
Presented this Affidavit before me.
Oath as true. Received Fee Rs _____


Posted at District Magistrate Hapur
State of Uttar Pradesh

BODH KUMAR
[Signature]
Advocate
NOTARY 25-01-25
Hapur Distt Hapur (U.P.)

WASTE TO ENERGY PLANT MAP

ANNEXURE-1

Legend



71° 13'

15° 51'

Hero's Globe and Health's
Google Earth

Image © 2025 Airbus

2000 ft



कार्यालय

जिलाधिकारी

हापुड़।

फोन नम्बर कार्यालय :- 0122-2304833

फैक्स नम्बर :- 0122-2334233

फोन नम्बर कैम्प कार्यालय :- 0122-2334400

ईमेल:-dmhap@nic.in

ईमेल:-dmhapur01@gmail.com

पत्रांक 1851


/एस0टी0-डी0एम0/2024

दिनांक 01/10/2024

1. पुलिस अधीक्षक, हापुड़।
2. अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0), हापुड़।
3. उपजिलाधिकारी, धौलाना।
4. पुलिस क्षेत्राधिकारी, पिलखुवा।
5. तहसीलदार, धौलाना (समस्त राजस्व टीम के साथ)।


आपको विदित ही है कि वर्तमान में ग्राम गालन्द व पिपलैड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, हापुड़, उपाध्यक्ष, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा ग्रामवासियों को समझाने का काफी प्रयास किया गया है, परन्तु ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का विरोध किया गया। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं उपजिलाधिकारी, धौलाना द्वारा दिनांक 01.10.2024 को संयुक्त रूप से कार्यालय पत्रांक-13577 /एस0टी0-ए0डी0एम0/2024 दिनांक 01.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया है कि उनके द्वारा ग्राम गालन्द व पिपलैड़ा के ग्रामवासियों व जन कल्याण किसान वेलफेयर समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों के साथ राजस्व टीम द्वारा बैठक कर वार्ता की गयी। बैठक के समय ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का पुनः विरोध किया गया।

तत्संदर्भ में ग्राम गालन्द व पिपलैड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.10.2024 को अपरान्त 01.00 बजे ग्रामवासियों के साथ बैठक कर वार्ता करते हुए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का प्रयास किया जायेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नियम दिनांक एवं समय पर ग्राम गालन्द में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


(प्ररणा शमी)
जिलाधिकारी,
हापुड़।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।


जिलाधिकारी,
हापुड़।

नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये 715 वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के संबंध में
दिनांक 18.10.2024 को कलेक्ट्रेट हापुड़ स्थित सभागार कक्ष में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में की
गई बैठक का कार्यवृत्त

ANNEXURE-3

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के पत्र संख्या 1851/एस0टी0-डी0एम0/2024, दिनांक 01.10.2024 के द्वारा ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा के ग्रामवासियों एवं जन कल्याण समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों के साथ पुनः बैठक किये जाने हेतु दिनांक 17.10.2024 नियत की गयी थी। परन्तु अपरिहार्य स्थिति के कारण उक्त बैठक नियत दिनांक को सम्पन्न न होकर दिनांक 18.10.2024 को कलेक्ट्रेट हापुड़ स्थित सभागार कक्ष में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी है। बैठक में पुलिस अधीक्षक हापुड़, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हापुड़, उप जिलाधिकारी, धौलाना, पुलिस क्षेत्राधिकारी पिलखुवा, तहसीलदार धौलाना, क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा एवं ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा के ग्रामवासियों एवं जन कल्याण समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में ग्रामवासियों एवं जन कल्याण समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का पुनः विरोध किया गया। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के पुनः विरोध किये जाने के ग्राम गालन्द व पिपलेहड़ा के ग्राम वासियों द्वारा निम्नलिखित कारण बताये गये-

- ग्राम पिपलेहड़ा व गालन्द में नगर निगम के द्वारा लगभग 17.9084 है0 भूमि पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण से गाँव के नजदीक होने के कारण दोनों गाँवों के व्यक्तियों द्वारा निर्माण न करने हेतु विरोध किया जा रहा है।
- ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण न होने देने का मुख्य कारण यह है कि गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा घर गाजियाबाद जिले में न बनाकर हापुड़ जिले में बनाया जा रहा है।
- ग्रामवासियों का कहना है कि वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट हेतु प्रस्तावित भूमि के पास से ऊपरी गंग नहर गुजरती है, जिस कारण नहर का जल दूषित होने एवं वायु प्रदूषण बढ़ने से क्षेत्र में संक्रमणीय बीमारी फैलने की प्रबल सम्भावना होगी।
- उक्त प्लान्ट के निर्माण से भूमि जल व वायु प्रदूषण होने की प्रबल संभावना है। इसी क्षेत्र के आस-पास अनेक शैक्षणिक संस्थान हैं, जहाँ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्रामवासियों को समझाया गया कि प्लान्ट के निर्माण से आस-पास के क्षेत्र का वातावरण स्वच्छ होगा। प्लास्टिक आदि के कचरे से मुक्ति मिलेगी। उक्त प्लान्ट में कूड़ा, कचरा आदि डिस्पोज किया जायेगा एवं उससे बिजली का उत्पादन किया जायेगा। इसके बावजूद भी ग्रामवासी वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण कराने के लिए सहमत नहीं हुए। साथ ही, दिनांक 05.08.2024 को नगर आयुक्त महोदय गाजियाबाद की उपस्थिति में ग्रामवासियों एवं जन कल्याण समिति के सदस्यों के साथ आहूत बैठक में निर्देशित किया गया कि कुछ ग्रामवासियों एवं समिति के सदस्यों को देश में विभिन्न स्थानों पर स्थापित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का भ्रमण कराया जाये, जिससे ग्रामवासी वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के प्रावधानों के बारे में सकारात्मक जानकारी पज्ञापत कर सके। नगर आयुक्त महोदय गाजियाबाद द्वारा दिये निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी ग्रामवासियों को देश में अन्य स्थानों/राज्यों में स्थापित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का भ्रमण कर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के प्रावधानों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे होने वाले लाभ एवं सुविधाओं के बारे में काफी समझाने का प्रयास किया गया। परन्तु ग्रामवासी सहमत नहीं हुए तथा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण का लगातार विरोध करते रहे। अतः ग्रामवासियों एवं जन कल्याण समिति के सदस्यों को काफी समझाने के पश्चात ग्रामवासियों द्वारा कहा गया कि उन्हें कुछ समय चाहिए, जिससे वह वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण के बारे में आपस में चर्चा/वार्ता कर लें तथा दिनांक 22.01.2025 को पुनः बैठक किये जाने का निर्णय लिया गया।

संलग्नक- उपस्थिति पत्र, फोटोग्राफ।

उप जिलाधिकारी,
धौलाना
18/10/2024

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
हापुड़
18/10/2024


जिलाधिकारी,
हापुड़

उपस्थित - 11

18/10/24-

Meeting held at Collectorate

- (1) महेश्वर सिंह महेश्वर
- (2) राजकमल सिंह राजकमल सिंह
- (3) श्रीपाल सिंह श्रीपाल सिंह
- (4) संजय कौरी (सामुदाय) Sanjay Kumar
- (5) प्रदीप राणा
- (6) राजीव लोमर - P. K. Kumar
राजीव लोमर
- (7) हनुम सिंह हनुम सिंह
- (8) अनुप लोमर - Anup
- (9) सुन्दर सिंह - Sunder
- (10) राजीव लोमर -


मनोज कुमार शर्मा
लेखपाल



[Handwritten Signature]
मनोज कुमार शर्मा
लेखपाल

दिनांक 18.10.2024 को कलेक्ट्रेट हापुड़ रिथत सभागार कक्ष में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के संबंध में पुनः ग्रामवासियों एवं जन कल्याण समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों के साथ बैठक किये जाने हेतु दिनांक 22.01.2025 नियत की गयी थी। उक्त के अनुक्रम में पुनः बैठक ग्राम गालन्द व पिपलैहड़ा के ग्रामवासियों एवं जन कल्याण समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों के साथ दिनांक 22.01.2025 को अधोहस्ताक्षरी के कैम्प कार्यालय पर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी है। बैठक में उप जिलाधिकारी, धौलाना, नायब तहसीलदार (द्वितीय) धौलाना एवं ग्राम गालन्द व पिपलैहड़ा के ग्रामवासियों एवं जन कल्याण समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में ग्रामवासियों एवं जन कल्याण समिति ग्राम गालन्द के सदस्यों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना किये जाने का पुनः विरोध किया गया। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के पुनः विरोध किये जाने के ग्राम गालन्द व पिपलैहड़ा के ग्राम वासियों द्वारा निम्नलिखित कारण बताये गये—

- ग्राम पिपलैहड़ा व गालन्द में नगर निगम के द्वारा लगभग 17.9084 है० भूमि पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण से गाँव के नजदीक होने के कारण दोनों गाँवों के व्यक्तियों द्वारा निर्माण न करने हेतु विरोध किया जा रहा है।
- ग्रामवासियों द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का निर्माण न होने देने का मुख्य कारण यह है कि गाजियाबाद नगर निगम का कूड़ा घर गाजियाबाद जिले में न बनाकर हापुड़ जिले में बनाया जा रहा है।
- ग्रामवासियों का कहना है कि वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट हेतु प्रस्तावित भूमि के पास से ऊपरी गंग नहर गुजरती है, जिस कारण नहर का जल दूषित होने एवं वायु प्रदूषण बढ़ने से क्षेत्र में संक्रमणीय बीमारी फैलने की प्रबल सम्भावना होगी।
- उक्त प्लान्ट के निर्माण से भूमि जल व वायु प्रदूषण होने की प्रबल संभावना है। इसी क्षेत्र के आस-पास अनेक शैक्षणिक संस्थान हैं, जहाँ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बनाये जा रहे वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्रामवासियों को समझाया गया कि प्लान्ट के निर्माण से आस-पास के क्षेत्र का वातावरण स्वच्छ होगा। प्लास्टिक आदि के कचरे से मुक्ति मिलेगी। उक्त प्लान्ट में कूड़ा, कचरा आदि डिस्पोज किया जायेगा एवं उससे बिजली का उत्पादन किया जायेगा। इसके बावजूद भी ग्रामवासी वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण कराने के लिए सहमत नहीं हुए। साथ ही, अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे होने वाले लाभ एवं सुविधाओं के बारे में काफी समझाने का प्रयास किया गया। पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी ग्रामवासियों को देश में अन्य स्थानों/राज्यों में स्थापित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट का भ्रमण कर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के प्रावधानों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया गया। जन कल्याण समिति के सदस्यों तथा ग्रामवासियों के साथ की वार्ता में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के निर्माण हेतु सहमति नहीं बन पायी।

संलग्नक— उपस्थिति पत्र, फोटोग्राफ।

Bingh
22.01.25
नायब तहसीलदार,
धौलाना

July
22/01/2025
उप जिलाधिकारी,
धौलाना

Poo
जिलाधिकारी,
हापुड़

उपलब्धि-पत्र

आज दिनांक 22/1/25 ग्राम गाली,
 पिपलहेडा परगना सिद्धा तहसील चोलाबा,
 जिला सुपुड में ~~पत्र~~ जलवायु वेस्ट
 डू एनर्जी चार्ज में ~~सिद्धा~~ में ~~वेस्ट~~
 का आगमन सिद्धा वेस्ट में उपलब्ध
 तम सामग्री में सिद्धा में
 एनर्जी सिद्धा में


दृष्टीगत

96 90 86 46 34

सिद्धा
 899954254
 Atoman
 8445161011

सिद्धा
 9760076600

81 94 05 88 41
 राजिव लोमर


 22/1/25
 मनोज कुमार शर्मा
 लेखपाल

Bingh
 22.01.25
 NT(D)

